न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 73 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 141

अनवान

1. नारायण पुत्र गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पुत्र गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र केसरसिंह राजपूत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लच्छु पुत्र नन्दा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्र नन्दा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मूलचन्द पुत्र लेहरू तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पुत्र रोडा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नारायणी पुत्री चुना तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. हरिशचन्द्र टेलर — वादी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 एकपक्षीय

निर्णय

दिनाकः—25.02.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम टोकरा पटवार मण्डल गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 938 रकबा 1.73 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 77 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात के सटमा प्रतिवादीगण की आराजियात स्थित जिससे प्रतिवादीगण, वादी की आराजी संख्या 1540 / 828 रकबा 0.43 है0 मे से उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी 1 ने 0.04 है0 भूमि व पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी 2 लगायत 5 ने 0.09 है0 भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने इसी आराजी के दक्षिणी मेड़ पर करीब 0.55 है0 भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मौके पर एक ही चक बना कर काबिज अवैध रूप से हो गये व कहा कि हमारी भुमि की सीमा यहा तक आती है इसलिए हमारे कब्जे मे रखेगें। वादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाकः 16—01—2019 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 12.06.2019 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादी की उक्त आराजी पर पत्थरगढी की तो वादी की आराजी संख्या 938 रकबा 1.73 है0 मे से उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी 1 ने 0.04 है0 भूमि व पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी 2 लगायत 5 ने 0.09 है0 भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने इसी आराजी के दक्षिणी मेड़ पर करीब 0.55 है0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है जो मुझ वादी की खातेदारी की ही पाई गई। अतः सादर प्रार्थना है कि कब्जेयाबी की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादी की खातेदारी अधिकारो की आराजी संख्या

जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों पर किसी प्रकार का स्थाई व अस्थाई निर्माण नही करे ना ही अन्य से करावे ना ही भूमियों का स्वरूप परिवर्तन करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद कराया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 938 रकबा 1.73 है0, भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोकरा पटवार मण्डल गलवा की आराजी संख्या 938 रकबा 1.73 हेक्टर मे से उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी 1 ने 0.04 है0 भूमि व पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी 2 लगायत 5 ने 0.09 है0 भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने इसी आराजी के दक्षिणी मेड़ पर करीब 0.55 है0 भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 938 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 73 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 141

अनवान

1. नारायण पुत्र गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पुत्र गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र केसरसिंह राजपूत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लच्छु पुत्र नन्दा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्र नन्दा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मूलचन्द पुत्र लेहरू तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पुत्र रोडा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नारायणी पुत्री चुना तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोकरा पटवार मण्डल गलवा की आराजी संख्या 938 रकबा 1.73 हेक्टर मे से उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी 1 ने 0.04 है0 भूमि व पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी 2 लगायत 5 ने 0.09 है0 भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने इसी आराजी के दक्षिणी मेड़ पर करीब 0.55 है0 भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 938 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

डिक्री आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर